वन विभाग हरियाणा

आवश्यक सुचना–12

(काष्ठ आधारित उद्योगों के नए लाईसैंस प्रदान करने हेतू)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा द्वारा दिनांक 08.02.2018 को हुई सभा में यह निर्णय लिया गया है कि काष्ठ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये नए लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन हेतू आवेदन करने के लिए फिर से ऑनलाईन पोर्टल www.haryanaforest.gov.in शुरू कर दिया जाए। अतः सर्व साधारण एंव काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने हेतू सभी इच्छुक आवेदको को सूचित किया जाता है कि वह नए लाइसैंस/रजिस्ट्रेशन हेतू विभाग की वेबसाईट www.haryanaforest.gov.in पर ऑनलाईन मोंड में दिनांक 14.03.2018 से 30.04.2018 (सांय 05:00 बजे तक) आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इससे सम्बन्धित IP Address http://164.100.137.122/ है।

नये लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन हेतू आवेदन के लिए "निर्धारित आवेदन पत्र (online)", "निर्धारित शर्ते एंव नियम" (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) एंव "आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देश" विभाग की वेबसाईट www.haryanaforest.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदन भरने से पहले उपरोक्त अनुसार "निर्धारित शर्ते एंव नियम" तथा "आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देशो" का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर लेंवे व उसी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। यदि प्रस्तुत किये गए आवेदन में पाया गया कि आवेदक शर्ते एंव नियम पूर्ण नहीं करता या आवेदन दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं भरा गया है या अपूर्ण है तो ऐसे आवेदन पत्रों के रद्द कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी आवेदनकर्ता की होगी।

पी.एस.ढिल्लो 12/3/2018

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–1, एंव सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।